

30.6.22 पत्तावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित।
वकील प्रार्थी व प्रार्थी एवं अप्रार्थी गणों को न्यायालय
समक्ष संबन्धवार-वार आवाज लगेवाई गई लेकिन
कोई उपस्थित नहीं हुए। और मा-ही पर्याप्त -
अवसर दिये जाने पर भी अप्रार्थी गणों को तामील
हेतु तलवाना नोटिस पेश नहीं किया गया है।

आतः प्रार्थी व प्रार्थीना पत्र अन्तर्गत धारा 212
रा-ही ए पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी अप्रार्थी-
गणों को तामील हेतु तलवाना नोटिस पेश नहीं
किया गया है कि अभाव में अन्तर्गत आदेश 09 -
मिथम 05 के तहत लॉर्ड्स किया जाना है।
पत्तावली नोसल सुमा हेतु नोटिस जारी है।
इसका दायित्व दफ्तर है। मिथम तुलने न्याया-
लय में सुनाया गया।

उपर्युक्त आधिकार
संभव लेक

